124

संख्याः– /IV–3/2015–04(28)/2015

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांक 03 अक्टूबर, 2015

विषयः–अर्द्ध कुम्भ मेला 2016 मेला अधिष्ठान हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये हरिद्वार विकास प्राधिकरण के पी0एल0ए0 खाते में से धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–380/अ0कु0मे0–2016/ले0अ0, दिनांक 27.07.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अर्द्ध कुम्भ मेला 2016 के अधिष्ठान के उपयोगार्थ वित्तीय वर्ष 2015–16 में हरिद्वार विकास प्राधिकरण के पी0एल0ए0 में से रू0 88,000,00 (रुपये अठ्ठासी लाख मात्र) की धनराशि निम्नविवरणानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

क्र0सं0	मद संख्या	वर्तमान में बजट की आवश्यकता (रू0 लाख में)
1	05 स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	1.00
2	08 कार्यालय व्यय	10.00
3	लेखन सामग्री	5.00
4	15 गाड़ी अनुरक्षण	5.00
5	16 व्यवसायिक सेवायें	60.00
6	19 विज्ञापन	2.00
7	22 अतिथि सत्कार	5.00
	योग–	**88.00**

उक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय की जायेगीः–

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यवर्तन अन्य मदों में नहीं किया जाय। मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी.एम.–8 पर हर माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
2. यह भी सुनिश्चित किया जाय कि उपर्युक्त अनुदान से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय।
3. यात्रा, टेलीफोन एवं पेट्रोल आदि के व्यय पर विशेष रुप से मितव्ययता बरती जाय।

4. व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का शत–प्रतिशत अनुपालन किया जाय।
5. स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।
6. आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण प्रपत्र–10 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय धनराशि हरिद्वार विकास प्राधिकरण के पी0एल0ए0 में उपलब्ध गत् माह कुम्भ मेला 2010 की धनराशि में से आहरित की जायेगी।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–432, दिनांक 01 अक्टूबर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

संख्याः– 1732 (1)/IV–3/2015–04(28)/2015, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
3. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
5. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।